



राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान,)

नारेली तीर्थ के पास, बडलिया चौराहा, अजमेर

www.ecajmer.ac.in

email : principal@ecajmer.ac.in

Telefax : 0145- 2671800, 2671801


पत्रांक : GECA/Acctt./2017-18/1078

दिनांक : 03.02.2018

आवश्यक सूचना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय का अनुमानित आय गणना प्रपत्र आयकर निधरण वर्ष 2018-19 के लिए सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. अतः सभी संकाय सदस्यों/ स्टॉफ को अनुमानित आय गणना प्रपत्र मय धारा 80सी में छूट हेतु दस्तावेजों की प्रति/आदि निवेश किया जा चुका हो, को पूर्णकर दिनांक-15.02.2018 तक आवश्यक रूप से लेखा-शाखा में उचित माध्यम से जमा करवा दें। आय विवरण पत्र समय पर प्राप्त नहीं होने पर लेखा शाखा द्वारा सीधे वेतन से आय कर कटौती कर दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक का होगा।
2. आयकर की धारा 80जी व 89(i) के अन्तर्गत छूट का लाभ विवरण के साथ सम्बन्धित आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर ही देय होगा।
3. मकान किराया भत्ता में आयकर छूट के लिए किरायानामा / रसीद मय मकान मालिक का PAN कार्ड प्रस्तुत करें।
4. अनुमानित आय में आयकर विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार आय शामिल की जावे। अन्य आय सम्बन्धी सूचना आयकर विभाग के निर्देशानुसार देय होगी।
5. उक्त आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2017-18 लेखाशाखा के महाविद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध है।
6. कार्मिक द्वारा आय सम्बन्धी किसी भी प्रकार के तथ्य छुपाने पर किसी भी भावी कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।


प्रचार्य
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अजमेर